

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 33/2023
जी.सी.एम.एस.-पोर्टल नम्बर- 2023/38

प्रार्थी

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा. बनाम
लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक
कार्यालय 2-डी एफ एल टॉवर
गोपीनाथ मार्ग एम.आई.रोड, जयपुर
302001 में स्थित व कार्यरत है।

अप्रार्थीगण

1. शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत
2. मीरा देवी पत्नि शम्भू कुमावत
3. पूनम कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत
4. हंसा कुमावत पत्नि पूनम कुमावत
5. नरसी लाल कुमावत पुत्र मुन्ना लाल कुमावत
पता- बडला का बास, वार्ड नं. 10, कुचामनसिटी, नावां
जिला नागौर राजस्थान
6. बाबूलाल पुत्र फूलचन्द
पता- पटवारी कोठी, कुचामनसिटी, नावा सिटी,
जिला नागौर राजस्थान

आदेश

दिनांक: 01-02-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को दिनांक 01.02.2020 को जरिये लोन खाता संख्या-PL9260 राशि 24,00,000/- (अक्षरे चौबीस लाख रुपये मात्र) तथा लोन खाता संख्या-PL9261 राशि 24,00,000/- (अक्षरे चौबीस लाख रुपये मात्र) को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत मालिक सम्पत्ति प्लॉट, वार्ड नं. 10, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 110.88 वर्गगज है। चर्तुसीमा- पूर्व में- हर्ष भाला का प्लॉट, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- गली, दक्षिण में- शिवचरण ईनानी का प्लॉट एवं मीरा देवी पत्नि शम्भू कुमावत मालिक सम्पत्ति आवासीय प्लॉट, खसरा नं. 3222/323 वार्ड नं. 8, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 2233.68 वर्ग फीट है। चर्तुसीमा- पूर्व में- चिरंजी लाल की भूमि, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- जेठमल की भूमि, दक्षिण में- अन्य का प्लॉट एवं शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत मालिक सम्पत्ति प्लॉट, वार्ड नं. 6, धनकोली हाऊस, लुहारिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप ग्राऊण्ड फ्लोर 1053 वर्ग फिट एवं बेसमेन्ट 546 वर्ग फिट है। चर्तुसीमा- पूर्व में- वेजन्तीमाला का प्लॉट, पश्चिम में- शिवचरण ईनानी के प्लॉट का शेष भाग, उत्तर में- हर्ष भाला का प्लॉट, दक्षिण में- गली जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.11.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ ऋणी के



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

ऋण खाते में रूपये 55,60,019/- (अक्षरे पचपन लाख साठ हजार उन्नीस रूपये मात्र) दिनांक 18.11.2022 तक शेष देय है व दिनांक 18.11.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 19.11.2022 को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 55,60,019/- (अक्षरे पचपन लाख साठ हजार उन्नीस रूपये मात्र) दिनांक 18.11.2022 तक शेष देय है व दिनांक 18.11.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु, ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :- शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत मालिक सम्पति प्लॉट, वार्ड नं. 10, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 110.88 वर्गगज है। चतुर्सीमा- पूर्व में- हर्ष भाला का प्लॉट, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- गली, दक्षिण में- शिवचरण ईनानी का प्लॉट एवं मीरा देवी पत्नि शम्भू कुमावत मालिक सम्पति आवासीय प्लॉट, खसरा नं. 3222/323 वार्ड नं. 8, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 2233.68 वर्ग फीट है। चतुर्सीमा- पूर्व में- चिरंजी लाल की भूमि, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- जेठमल की भूमि, दक्षिण में- अन्य का प्लॉट एवं शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत मालिक सम्पति प्लॉट, वार्ड नं. 6, धनकोली हाऊस, लुहारिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप ग्राऊण्ड फ्लोर 1053 वर्ग फिट एवं बेसमेन्ट 546 वर्ग फिट है। चतुर्सीमा- पूर्व में- वेजन्तीमाला का प्लॉट, पश्चिम में- शिवचरण ईनानी के प्लॉट का शेष भाग, उत्तर में- हर्ष भाला का प्लॉट, दक्षिण में- गली जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 01.02.2020 को जरिये लोन खाता संख्या-PL9260 राशि 24,00,000/- (अक्षरे चौबीस लाख रूपये मात्र) तथा लोन खाता संख्या-PL9261 राशि 24,00,000/- (अक्षरे चौबीस लाख रूपये मात्र) प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पंक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत मालिक सम्पत्ति प्लॉट, वार्ड नं. 10, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 110.88 वर्ग गज है। चतुर्सीमा- पूर्व में- हर्ष भाला का प्लॉट, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- गली, दक्षिण में- शिवचरण ईनानी का प्लॉट एवं मीरा देवी पत्नि शम्भू कुमावत मालिक सम्पत्ति आवासीय प्लॉट, खसरा नं. 3222/323 वार्ड नं. 8, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 2233.68 वर्ग फीट है। चतुर्सीमा- पूर्व में- चिरंजी लाल की भूमि, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- जेठमल की भूमि, दक्षिण में- अन्य का प्लॉट एवं शम्भू कुमावत पुत्र नरसी लाल कुमावत मालिक सम्पत्ति प्लॉट, वार्ड नं. 6, धनकोली हाऊस, लुहारिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप ग्राऊण्ड प्लोर 1053 वर्ग फिट एवं बेसमेन्ट 546 वर्ग फिट है। चतुर्सीमा- पूर्व में- वेजन्तीमाला का प्लॉट, पश्चिम में- शिवचरण ईनानी के प्लॉट का शेष भाग, उत्तर में- हर्ष भाला का प्लॉट, दक्षिण में- गली जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेंटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष सोमारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर